श्री अबू आसिम आज़मी: महोदय, देश के करोड़ों लोगों ...(**व्यवधान**)

†[ ] شری ابوعاصم اعظمی : مہودے، دیش کے کروڑوں لوگوں.....مداخلت.....]†

उपसभापति: आपने नोटिस नहीं दिया है, चेयरमैन की इज़ाज़त नहीं ली है, I will not allow that ...(*Interruptions*)

श्री अबू आसिम आज़मी: अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था कि ...(**व्यवधान**) मैं एक मिनट लूंगा ...(**व्यवधान**)

†[ ] شری ابوعاصم اعظمی : ابھی حال ہی میں اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی نے جو بیان دیا تھا کہ .....مداخلت..... میں ایک منٹ لونگا.....مداخلت.....]†

उपसभापति: आपने नोटिस नहीं दिया है, नोटिस की जरूरत है ...(**व्यवधान**) आपको चेयरमैन की इज़ाज़त लेनी चाहिए थी, I will not allow that ....(*Interruptions*) आपने इज़ाज़त नहीं ली है, इसलिए मैं इज़ाज़त नहीं दूंगा ...(**व्यवधान**) Now, the hon. Home Minister to introduce the Bill.

GOVERNMENT BILLS—*Introduced*

THE DISPLACED PERSONS CLAIMS AND OTHER LAWS REPEAL BILL, 2004

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिक राव गावित): उपसभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित व्यक्ति दावा अधिनियम, 1950 और कुछ अन्य अधिनियमनों का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री माणिकराव गावित: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

THE CREDIT INFORMATION COMPANIES (REGULATION) BILL, 2004

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation of credit information companies and to facilitate efficient distribution of credit and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I introduce the Bill.

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.